

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 299
12 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

संदूषित पेयजल की आपूर्ति

†*299. श्री मनीश तिवारी:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार चंडीगढ़ के कुछ क्षेत्रों में संदूषित पेयजल की आपूर्ति, जिसके कारण बड़ी संख्या में निवासी बीमार पड़ गए हैं, के संबंध में हालिया रिपोर्टों से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रभावित क्षेत्रों, प्राप्त शिकायतों की संख्या और जल गुणवत्ता संबंधी किए गए परीक्षणों के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जल आपूर्ति अवसंरचना, पाइपलाइन के रखरखाव या निगरानी प्रणालियों में किसी चूक की पहचान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) नियमित परीक्षण और अवसंरचना के उन्नयन सहित सुरक्षित और पीने योग्य पेयजल सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या तात्कालिक और दीर्घकालिक उपाय किए गए हैं या प्रस्तावित हैं; और

(ङ) क्या इस संबंध में चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों या एजेंसियों की जवाबदेही तय की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य मंत्री
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“संदूषित पेयजल की आपूर्ति” के संबंध में दिनांक 12 मार्च, 2026 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत *तारांकित प्रश्न संख्या 299 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ड) : जल राज्य का विषय है। पेय जल की सुरक्षा के संबंध में निगरानी, प्रवर्तन तथा सुधारात्मक कार्रवाई की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। पुरानी एवं क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों के संचालन, रखरखाव तथा प्रतिस्थापन की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/पैरास्टेटल संस्थाओं की होती है। भारत सरकार योजनागत हस्तक्षेपों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। सरकार अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) तथा अमृत 2.0 जैसी विभिन्न योजनाओं/मिशनों के माध्यम से अनुमोदित इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए राज्यों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करती है। चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सूचित किया है कि चंडीगढ़ के मौली जागरण, दरिया और हैलो माजरा क्षेत्रों में जल आपूर्ति में संदूषण के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई थीं। हालांकि, अधिकांश मामलों में पानी में कीचड़ की उपस्थिति पाई गई, जिसका संबंध जल आपूर्ति लाइनों में चल रही मरम्मत से है। इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में यह भी पाया गया कि निवासियों ने जल आपूर्ति के निर्धारित समय से भिन्न समय पर अपने जल पंपों का उपयोग किया, जो सीधे वितरण लाइनों से जुड़े हुए हैं। इससे पाइप जोड़ों पर आंतरिक दबाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पानी में मिट्टी का मिश्रण हो जाता है।

संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा तत्काल उपाय किए गए तथा जल के नमूने रैंडम आधार पर एकत्र कर उन्हें नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजा गया। पिछले 3 महीनों के दौरान 1995 जल नमूनों का परीक्षण किया गया और इस अवधि में एकत्रित नमूनों के परीक्षण परिणाम संतोषजनक पाए गए। पाइपलाइनों में किसी भी प्रकार के संदूषण को समाप्त करने के लिए जल आपूर्ति लाइनों की फ्लशिंग की गई तथा उपभोक्ता स्तर पर पेय जल में उचित क्लोरीनीकरण सुनिश्चित किया गया। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने यह भी सूचित किया है कि चंडीगढ़ में जल आपूर्ति प्रणाली पुरानी है, जिसके कारण कभी-कभी पाइपों में रिसाव हो जाता है। जैसे ही ऐसे मामले सामने आते हैं, तत्काल मरम्मत कार्य किया जाता है। मौली जागरण और दरिया जैसे शेष क्षेत्रों, जो भूजल पर निर्भर हैं, को नहर जल से जोड़ना संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की दीर्घकालिक कार्यनीति का हिस्सा है। इसके साथ-साथ पहचानी गई पुरानी/क्षतिग्रस्त वितरण पाइपलाइनों को चरणबद्ध तरीके से डकटाइल आयरन (डीआई) पाइपलाइनों से प्रतिस्थापित करने की योजना भी शामिल है।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) के अंतर्गत चंडीगढ़ प्रशासन ने कुल 166.39 करोड़ रुपये की लागत से 07 परियोजनाएँ शुरू की हैं, जिनमें 43.77 करोड़ रुपये की 2 पेय जल आपूर्ति परियोजनाएँ तथा 122.62 करोड़ रुपये की 05 सीवर/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएँ शामिल हैं। अनुमोदित परियोजनाओं के अंतर्गत 10.50 किमी नए जल आपूर्ति नेटवर्क तथा 239.69 किमी सीवर नेटवर्क (167 किमी नया तथा 72.69 किमी का प्रतिस्थापन) को कवर किया गया है। अब तक चंडीगढ़ में अमृत/अमृत 2.0 तथा तालमेल के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 1.76 लाख से अधिक जल नल कनेक्शन तथा 2.36 लाख सीवर कनेक्शन (जिसमें एफएसएसएम के अंतर्गत कवर किए गए परिवार भी शामिल हैं) प्रदान किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 20 किमी जल पाइपलाइन नेटवर्क तथा 30.13 किमी सीवर नेटवर्क का निर्माण/प्रतिस्थापन किया जा चुका है।

शहरी क्षेत्रों में पेय जल का संदूषण ऐसी समस्या है, जिसके विभिन्न कारक होते हैं और सामान्यतः इसका कारण वितरण प्रणाली की कमजोरियाँ तथा सीवरेज और स्वच्छता इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ इन्टरफेस होता है। शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति किए जाने वाले पेय जल का भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस आईएस 10500 मानकों के अनुरूप होना आवश्यक है; तथापि, संचरण, भंडारण और वितरण प्रणालियों में इन्फ्रास्ट्रक्चर, परिचालन, पर्यावरणीय तथा रखरखाव से संबंधित कारणों के चलते जल की गुणवत्ता में गिरावट हो सकती है। पेय जल आपूर्ति में संदूषण के प्रमुख कारणों में रिसाव, पाइप फटना और दोषपूर्ण जोड़, सीवरेज तथा जल निकासी प्रणालियों के साथ क्रॉस-कनेक्शन, पुराना हो चुका इन्फ्रास्ट्रक्चर और क्षरण, अनियमित जल आपूर्ति तथा नकारात्मक दाब, जल का ठहराव और लंबे समय तक जल का बने रहना, भंडारण और संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर का अपर्याप्त रखरखाव तथा सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की अपर्याप्त व्यवस्था आदि शामिल हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने मार्च 2024 में “जल आपूर्ति और शोधन प्रणाली संबंधी नियमावली (ड्रिंक फ्रॉम टैप)” प्रकाशित की है, ताकि राज्यों/ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जल आपूर्ति परियोजनाओं के डिजाइन, कार्यान्वयन, पेय जल की गुणवत्ता तथा जल आपूर्ति परियोजनाओं की निगरानी के संबंध में इसका संदर्भ लिया जा सके।

<https://mohua.gov.in/publication/manual-on-water-supplyandtreatment-systems---drink-from-tap---march-2024.php>

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने जनवरी, 2026 में सभी राज्यों को एक परामर्शिका जारी की है, जिसमें संवेदनशील क्षेत्रों तथा पुराने हो चुके इन्फ्रास्ट्रक्चर का व्यापक आकलन करने, जल आपूर्ति लाइनों के निकट स्थित सीवर लाइनों के क्रॉसिंग बिंदुओं की पहचान करने तथा

स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों की रोकथाम के उद्देश्य से अमृत/अमृत 2.0 के अंतर्गत तैयार किए गए जियो-स्पेशियल डाटाबेस का उपयोग करते हुए वर्तमान जल आपूर्ति और सीवर नेटवर्क का डिजिटल मानचित्रण करने के लिए कहा गया है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने नवंबर, 2024 में अमृत 2.0 के अंतर्गत “सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से शहरों में जल गुणवत्ता निगरानी का सुदृढीकरण” विषय पर एक परामर्शिका सभी राज्यों को जारी की है, जिसमें राज्य या शहर स्तर पर जल गुणवत्ता निगरानी कार्यनीति तैयार करने तथा शहरी क्षेत्रों में पेय जल की गुणवत्ता की शहरव्यापी निगरानी के लिए संस्थागत क्षमता को सुदृढ करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही जन सूचना और जागरूकता के लिए जल गुणवत्ता मानकों के डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है।

अमृत/अमृत 2.0 के दिशा-निर्देशों के अनुसार पुराने इन्फ्रास्ट्रक्चर, संवेदनशील क्रॉसिंगों तथा दाब-प्रबंधित प्रणालियों का प्रतिस्थापन किया जा सकता है, ताकि राज्यों की प्राथमिकता के अनुसार संदूषण के जोखिम को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त, अमृत 2.0 मिशन चयनित जिला मीटर्ड क्षेत्रों (डीएमए)/वार्डों में गुणवत्ता आश्वासन सहित 24x7 जल आपूर्ति, ड्रिंक फ्रॉम टैप (डीएफटी) गुणवत्ता का पेय जल, ऑनलाइन जल गुणवत्ता निगरानी, सेंसर तथा पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण (एससीएडीए) प्रणाली को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही, जल गुणवत्ता परीक्षण में सामुदायिक भागीदारी, विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाता है।

अमृत/अमृत 2.0 के अंतर्गत तथा राज्यों के साथ तालमेल के माध्यम से अब तक शहरी क्षेत्रों में 246 लाख जल नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। अमृत/अमृत 2.0 के अंतर्गत तथा अमृत शहरों में तालमेल के माध्यम से 182 लाख सीवर कनेक्शन (जिसमें एफएसएसएम के अंतर्गत लाभान्वित परिवार भी शामिल हैं) प्रदान किए गए हैं। अमृत शहरों के साथ तालमेल करते हुए 93,457.51 किलोमीटर लंबा जल पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया/प्रतिस्थापित किया गया है तथा 26,995.61 किलोमीटर लंबा सीवर नेटवर्क बिछाया/प्रतिस्थापित किया गया है।

अमृत के अंतर्गत 258 जल आपूर्ति योजनाओं में स्काडा प्रणाली जैसी स्मार्ट निगरानी प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं तथा अमृत 2.0 के अंतर्गत 1,422 जल आपूर्ति परियोजनाओं में स्काडा प्रणाली का प्रावधान किया गया है। मिशन कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की वकालत करता है, ताकि अवैध कनेक्शनों को न्यूनतम किया जा सके। मिशन के अंतर्गत लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सुदृढ करने के लिए प्रति कनेक्शन 3,000 रुपये का प्रावधान किया गया

है। मिशन रखरखाव प्रणाली, डिजिटल निगरानी तथा ऊर्जा दक्षता आदि को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट एलिमेंट, फ्लो मीटर, प्रेशर वाल्व आदि के उपयोग की भी वकालत करता है।

सेवा प्रदायगी में सुधार के लिए राज्यों द्वारा डीएफटी परियोजनाएँ शुरू की गई हैं तथा राज्यों को प्रत्येक अमृत शहर में कम से कम एक डीएफटी परियोजना को किसी डीएमए या वार्ड में कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अमृत 2.0 के अंतर्गत 348 शहरी स्थानीय निकायों में 16.72 लाख परिवारों को लाभान्वित करने वाले 1,153 डीएमए सहित 407 परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है।
